

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(144)एम.ई. / ग्रुप-1 / 13

जयपुर, दिनांक : 27 JAN 2022

आदेश

डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर अवमानना प्रकरण संख्या 338/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2022 को पारित आदेश एवं माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 9331/2020 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 की पालना में डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य, पी. एण्ड एस.एम., मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को एम.डी. (एनेस्थिसिया) कोर्स करने हेतु कोर्स जाईन करने की तिथि से 03 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. उक्त स्वीकृति इस विभाग द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर Special Appeal Writ (filing) no. 40477/2021 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
2. डॉ शर्मा अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियमों के तहत निर्धारित बन्ध पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,  
27/1/22  
(अशोक कुमार सोनी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक, मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव